तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/4/25	पत्रावली पेश हुई अवि० उप०। आपत्ति प्रार्थना एवं मूल प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते उचित आदेश दिनांक 3/4/25 को पेश हो। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)
3/4/25	पत्रावली पेश हुई अवि० उप०। [illegible] वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति। प्रा.पत्र का अवलोकन किया। कथन किया कि उक्त [illegible] के प्रकरण में [illegible] मौका [illegible] में स्थित [illegible] भूमि 204/142 के संबंध में मौके पर जो भी वास्तविक रास्ते हैं उनके संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई थी। जिसके अनुसरण में तारीख पेशी दिनांक 17/3/25 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई जो तथ्यात्मक रिपोर्ट मौका स्थिति के बिल्कुल विपरीत एवं बिना अप्रार्थी नं. 01 को सूचना दिये एवं उनकी गैरमौजूदगी में बिना मौका देखे ही हल्का पटवारी एवं आर आई द्वारा तैयार कर तहसीलदार जैतारण के [illegible] हस्ताक्षर [illegible] प्रस्तुत की गई है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने एवं मौका स्थिति के विपरीत होने से कानूनन मान्य नहीं है। ख.नं. 204/143 में आने जाने हेतु सुरक्षित निकट में ख.नं. 132 है के बीच रास्ता ख.नं. 147, 1371, 130 बिल्कुल ही निकटतम एवं व्यवहारिक है जो मौके पर रास्ता चालू भी है इसके बावजूद भी रेवेन्यु एजेन्सी ने धारा 251A RTAct के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मौका रिपोर्ट। तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्रार्थी नं 01 की मौजूदगी में मंगवाने जाने का आदेश करावें। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
अप्रार्थी नं 01 की खातेदारी भूमि अनावश्यक रूप से बिना किसी अधिकार के टुकड़े कर नष्ट करने के उद्देश्यपूर्ति हेतु प्रार्थीगण के पास निकटतम एवं व्यवहारिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी विधिक प्रावधानों को अनदेखा कर अप्रार्थी नं 01 की खातेदारी भूमि में से [illegible] सिरे से रास्ता कायम करने पर आमादा हो। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु [illegible] प्रा.पत्र [illegible] की भूमि ख.नं. 156 में स्थित है 141 के पिछले ही ख.नं. 156 में स्थित है ख.नं. 204/142 ख.नं. 156 से रास्ता होकर [illegible] ख.नं. 203/142 की लाईन व पड़ोस की भूमि ख.नं. [illegible] जाने हेतु काम में लिया जा रहा है जिसके संबंध में सिविल प्रकरण दि 6/01/24 माननीय सिविल न्यायाधीश जैतारण के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है मौका रिपोर्ट की उक्त प्रकार [illegible] तैयार की गई। जिसके भी [illegible] भूमि में आने जाने हेतु रास्ता मौजूद है [illegible] पुनः विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई जाने का आदेश करावें। इसके पत्रावली का अवलोकन, एवं [illegible] तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर गंभीरता से अवलोकन किया। बहस पर गौर करते हुए विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। वस्तुतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु तहसीलदार जैतारण ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नक्शा प्रस्तुत किया है अवलोकन से स्पष्ट है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट में दो वैकल्पिक रास्ते बताये हैं जिनको 251A RTAct के प्रावधानों अनुसार निकटतम दूरी वाले विकल्प (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का रास्ता किया जाना चाहते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट बिना मौके पर पहुंचे नहीं बना सकते हैं। कई मौका रिपोर्ट में दिनांक 6/3/25 को मौके पर पहुंचकर तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इसका आवेदक सिविल न्यायालय जैतारण में प्रकरण विचाराधीन है कि सर्वेक्षण में मौजूद। दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं। इसकी स्थिति के दिनांक 6/3/25 को रैवेन्यू टीम ने के मौके पर जाकर कई मौका तहसीलदार रिपोर्ट पेश की है। यह उचित प्रतीत होती है। अतः वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना बदस्तूरी लाभित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली का दस्तावेजात, जवाब एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन से अवगत किया। बहस पर मनन किया गया। अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना प्रार्थी द्वारा 251A RT Act का आवेदन होने से स्वीकार किया जाता है कि किया निर्णय मुताबिक के लिए जारी की प्रति जारी। निर्णय का तहसीलदार रिपोर्ट जैतारण मार्फत निर्णय पालना हेतु तहसीलदार जैतारण को भेजी जावे। तहसील जावे यो पत्रावली कोर्ट बाद तामील शुमार होकर नतीजा के बाद रिकार्ड जाकर दाखिल दफ्तर होवे। आदेश जाता है। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)